तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
27/10/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित / बहस [illegible] पत्रावली को [illegible] प्र० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार का भी अवलोकन किया। धारा 212 RT Act r.w.O 39 R 1&2 CPC के प्रा०पत्र को adjudicate करने के इन तीन बिन्दुओ पर जांचनी आवश्यक है। अप्रार्थी/ तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट/जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ना केवल रिकॉर्ड खातेदार कृषक है बल्कि अप्रार्थी 3 की भूमि ख०नं० 438 (गै० मु० रास्ता) पर कोई कब्जा नहीं किया है। अप्रार्थी 2 ने भी बहस मे केवल सरकारी रास्ते ख०नं० 438 मे ही सडक निर्माण करने बताने और प्रार्थी की भूमि ख० नं० 440 पर कोई सडक निर्माण नही करने का कथन किया है। अतः तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से प्रार्थी का प्रा०पत्र u/s 212 RT Act r.w.O.39 R 1&2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तारीख़ पेशी मुलतवी इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की आराजी ख०नं० 440 रकबा 0.1644 [illegible] पर [illegible] सडक निर्माण (जबरन) करके [illegible] और [illegible] के कब्जा काश्त मे दखल [illegible] नाजायज से [illegible] होकर [illegible] हस्तक्षेप होकर मुलतवी के साथ संलग्न हो।
	उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 14:49:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner